

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननके पुत्र राम अवध सोनकर निरोल लाल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-164 / 21, धारा 60 आबकारी अधिन के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामकृपाल यादव पुत्र राम निहोर यादव निरोल कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-164 / 21, 02. इन्दर यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद निरोल कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-165 / 21, धारा 60 आबकारी अधिन के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्याम बहादुर निषाद पुत्र पुत्तू निषाद निरोल ऊँचे का पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-168 / 21, 02. अमरेश पुत्र स्वामी नाथ निरोल हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-169 / 21, 03. विजय निषाद पुत्र सीताराम निषाद निरोल हतवा नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीला अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-170 / 21, धारा 60 आबकारी अधिन के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने मु030सं0-180 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधिन में वांछित अभियुक्त धर्मपाल पुत्र दुलारे निरोल नक्छेद पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिन के तहत कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.06.2021

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0—213/21, धारा 376 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय गोस्वामी पुत्र रमेश कुमार गोस्वामी नि0 ग्राम बिबियापुर गोसाई थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—213/21, धारा 376 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्र0नि0 संतोष कुमार सिंह मय टीम।